न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 79/2020
प्रविष्टि दिनांक 30–12–2020

1–घांसीलाल पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी रूपपुरा तह0 उनियारा जिला–टोंक राज0
2–ओमप्रकाश पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी रूपपुरा तह0 उनियारा जिला–टोंक राज0

–अपीलान्ट्स/प्रतिपक्षीगण

बनाम

रतन पुत्र श्रीनारायण ढोली निवासी रूपपुरा तह0 उनियारा जिला–टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0टि0एक्ट 1955 विरूद निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 18–12–2020

उपस्थिति –(1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री अशोक कासलीवाल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 8–12–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18–12–2020 को अपीलाण्ट को आराजी ख0न0 1558/1002 रकबा 1.00 हैक्टर ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा स्थित भूमि से बेदखल करने,कब्जा सुपुर्द करने व पेनल्टी कायम करने का निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0न0 1558/1002 रकबा 1.00 हैक्टर ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा उसकी खातेदारी में दर्ज है, जिस पर उसका लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण का कार्य अनुसूचित जाति जन जातियों के व्यक्तियों की भूमियों पर अवैध कब्जा कर उनसे पैसे एठना है, इसी उद्देश्य [illegible] करीब 15–20 दिन पहले प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से अ[illegible]र लिया है जिनको अतिक्रमण हटाने के लिए कहा तो जान से [illegible] एलानिया धमकी दी की दुबारा जमीन पर जाये तो जान से [illegible] देंगे। अपील[illegible] रेस्पोडेण्ट [illegible]नस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य प्र[illegible] पर जमाबन्दी में [illegible] नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:57:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते राजस्थान

जिला कलेक्टर
टोंक

अंकित होने से प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने केवल उनके अनुसूचित जाति का होने के आधार पर निर्णय पारित किया हे तो गलत है व चलने योग्य नहीं है क्योंकि रेस्पोडेण्ट का वादग्रगस्त भूमि पर कभी भी कब्जा या काश्त नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ से उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थनान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दे दी गई थी परन्तु उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की ओर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीन्ट को सुनवाई का समूचित अवसर नहीं दिया गया। तामील के बाद कानूनन 30 दिवस का अवसर उसको जवाबदेही का देना चाहिये था जो नहीं दिया गया ओर आनन फाानन में उक्त निर्णय पारित कर दिया जो चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट का बहस के दौरान यह भी कथन रहा कि आराजी खसरा नम्बर 1001,1002 के साबिक खसरा नम्बर 371,372,ग्राम रूपपुरा तह0 उनियारा में से 5 बीघा भूमि पर प्रतिपक्षीगण का इनके पूर्वजों के समय से लगभग 70 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिपक्षीगण बायी आफपरेशन आफ लॉ एडवर्स पजेशन के आधार पर इस भूमि के मालिक बन चुके हैं। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी उनियारा में एक वादपत्र घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थायी निषेद्याज्ञा का रतन बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत किया था जिसका दिनांक निर्णय दिनांक 30–7–2015 को पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर प्रतिपक्षीगण ने उक्त निर्णय/डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोक के यहॉ प्रस्तुत कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा उस पर निर्णय होना शेष है, ऐसी स्थिति में धारा 183 बी राज0 टिनेन्सी एक्ट की समरी प्रोसिडिंग का निर्णय कानूनी रूप से पारित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–12–2020 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी आराजी ख0न0 1558/1002 रकबा 1.00 है0 किस्म बारानी–1 ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा स्थित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट गिरोबन्द व बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था जिसे नियमानुसार हटवाने के लिए तहसीलदार उनियारा के समक्ष मय दस्तावेज के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दोनों पक्षो को सुना जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट चालाक ओर शतिर व्यक्ति हैं वह अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन प्राप्त करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए ओर प्रकरण को विलम्ब करने के लिए स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलांट को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हे, उसकी भूमि पर अपीलांट्स ने अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है, जिसका की उसको कोई कानूनन अधिकार नहीं है। इस सुरक्षा हेतु धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान नियत किया है व इसके प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय ने अपीलांट को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने व बेदखल कर भूमि का कब्जा रेस्पोडेण्ट को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना व बहस पर मनन किया तथां पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–12–2020 से अपीलान्ट की आराजी ख0 नं0 1558/1002 रकबा 1.00 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
राजस्थान

जिला कलेक्टर
टोंक

eader
DM Court

ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा स्थित भूमि पर किये गये कब्जे से बेदखल कर भूमि का कब्जा अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान 8.00 रूपये का 50 गुना 400 रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जबकि अपीलान्ट का कथन है कि उक्त भूमि पर वह 70 वर्षों सक काबिज है ओर अप्रार्थी का कोई दखल नहीं है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति हे, उनकी भूमि पर अपीलांट ने अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है, जिसका की उसको कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि की सुरक्षा हेतु धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान नियत किया है व इसके प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने व बेदखल कर भूमि का कब्जा रेस्पोडेण्ट को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया हे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने उक्त आदेश व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से एवं राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के पश्चात सम्पूर्ण रूप से विनिश्चय कर साक्ष्य का अवलोकन कर कानूनन रूप से निर्णय पारित किया हे, जो उचित एवं न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 18–12–2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
(राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:34 IST
Reason: SelfAttested